राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः– एफ 3(6)आ.प्र. एवं सहा./मोनि./रा.स.पोर्टल/2024 जयपुर, दिनांक

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, पाला–शीतलहर, चक्रवात, अधंड–तुफान, अग्नि, एवं कीट आक्रमण आदि से किसानों द्वारा बोई गई फसलों में राजस्व विभाग द्वारा करवाई गई गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार खडी फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर प्रभावित किसानों को भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराबे से प्रभावित किसानों द्वारा कृषि आदान अनुदान के संबंध में प्रेषित की गई शिकायत को जिला कलक्टर/आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसान को उचित समय पर सहायता प्राप्त हो सके।

अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से फसल खराबे पर कृषि आदान अनुदान सहायता के संबंध में किसानो द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत का परीक्षण कर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार किसानो को त्वरित कृषि आदान अनुदान सहायता प्रदान किया जाना विभागीय दायित्व है।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत/परिवाद की जांच/परीक्षण उपरान्त संबंधित पटवारी/तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार परिवादी को तत्काल कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करेगे तथा परिवाद के निस्तारण के संबंध में परिवादी से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगे।

<u>प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराबा होने पर प्रभावित काश्तकारो को कृषि आदान सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में निर्धारित मानक प्रकिया का विवरण –</u>

योजना का नाम	कृषि आदान–अनुदान सहायता
योजना के लिए पात्र किसान	अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों द्वारा बोई गई खडी फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर प्रभावित सभी काश्तकार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु पात्र है। कटी हुई फसलों में खराबा होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है।
अनिवार्य दस्तावेज	प्रभावित किसानों द्वारा कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु जन आधार कार्ड/आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधित दस्तावेज ईत्यादि संबंधित पटवारी को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है।
आवेदन अवधि	कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार खरीफ मौसम में चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक एवं रबी मौसम में अगले वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर तक आवेदन किया जाना आवश्यक है।
आवेदन पोर्टल	विभाग द्वारा संचालित डीएमआईएस पोर्टल पर पटवारी द्वारा प्रभावित काश्तकारों का डाटा अपलोड किया जाता है।
पात्र किसानों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार देय कृषि आदान–अनुदान सहायता राशि/दरें	एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार देय कृषि आदान–अनुदान सहायता की दरेः– • वर्षा आधारित खेती – 8500/–प्रति हैक्टेयर • सिंचित खेती– 17000/– प्रति हैक्टेयर • बारहमासी फसले– 22500/प्रति हैक्टेयर नोटः– अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि तक सहायता देय है।

RajKaj Ref No.: 21980268

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwah
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.05.07 10:25:07 IST
Reason: Approved

फसल खराबे की सूचना	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से फसल खराबा होने पर काश्तकारों द्वारा राज गिरदावरी एप के माध्यम से स्वंय किसान भी गिरदावरी की रिपोर्ट/खराबे की सूचना संबंधित पटवारी/तहसीलदार/जिला कलक्टर को दे सकता है।
योजना में सहायता हेतु अपात्रता	**गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार खडी फसलों में 33 प्रतिशत से कम फसल खराबा होने पर कृषि आदान–अनुदान सहायता देय नही है।** **कृषि आदान अनुदान सहायता योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भिन्न है।**
भुगतान की प्रक्रिया	डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से संबंधित काश्तकारों को उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित (डीबीटी) की जाती है।
समस्या समाधान के लिए सम्पर्क	Email id-helpdesk.dmis@rajasthan.gov.in जिला स्तर पर– जिला कलक्टर (सहायता), संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/पटवारी

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री आपदा प्रबंधन एवं सहायता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर को भेजकर अनुरोध है कि कृषि आदान अनुदान सहायता के सम्बन्ध में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को सम्पर्क पोर्टल पर योजना की जानकारी सम्पर्क पोर्टल के डेशबोर्ड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. ऑफिसर इंचार्ज, सम्पर्क पोर्टल, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृषि आदान अनुदान योजना के सम्बन्ध में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु योजना की जानकारी सम्पर्क पोर्टल के डेशबोर्ड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर। कम्प्यूटर शाखा (DMRD)
12. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को विभगीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
21980268

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.05.07 10:25:07 IST
Reason: Approved